उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी एक्ट वाद संख्या–35 / 2018

इलाहाबाद बैंक बनाम् अरविंद कुमार चौधरी वगै0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख
20/12/2021	– आदेश – प्राधिकृत्त पदाधिकारी, कृते इलाहाबाद बैंक, मुख्य प्रबंधक, सरकुलर रोड, राँची द्वारा सेक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनन्सियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत् आवेदन दायर किया गया है। दायर आवेदन में उधारकर्त्ता अरविन्द कुमार चौधरी (Borrower) पिता–कृष्णा प्रसाद चौधरी एवं मनोज कुमार साह (Guarantor), पिता–महेन्द्र साह तथा अजय कुमार (Guarantor), पिता–विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल को विपक्षी बनाया गया है। मौजा–रामगढ़, थाना नं0–82, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ अंतर्गत खाता नं0–20, प्लॉट नं0 2220, रकबा– 1.50 डिसमील भूमि एवं उक्त भूमि पर बनी संरचना का दखल लेने हेतु अपीलार्थी प्राधिकृत्त पदाधिकारी, कृते इलाहाबाद बैंक, मुख्य प्रबंधक, सरकुलर रोड, राँची द्वारा अनुरोध किया गया है। दायर वाद के आलोक में वाद अंगीकृत करते हुए विपक्षीगण को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा सम्बन्धित अंचल अधिकारी, रामगढ़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद दायर करने की अगली तिथि से अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं एवं दिनांक–28.09.2019 को विपक्षी वकालतनामा के साथ उपस्थिति के पश्चात् लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त दायर वाद के निष्पादन के निमित्त अपीलार्थी की रूचि नहीं हैं। अतः अपीलार्थी की उदासीनता को देखते हुए दायर आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करे। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) 20.12.2021 उपायुक्त, रामगढ़। (हस्ताक्षर) 20.12.2021 उपायुक्त, रामगढ़।	

Digitally signed by madhavi mishra
Date: 2022.01.08 12:12:38 +05:30
Location: 192.168.0.9